सं0 सं0–टी–3/भवन–12/2008–...494.../

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

प्रेषक,

उप सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

/पटना, दिनांक–...20.../...02.../2017

विषयः– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कटिहार के प्रशासनिक भवन, कर्मशाला एवं छात्रावास के जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल राशि **रू0** 1,64,10,000/– **(एक करोड़ चौंसठ लाख दस हजार)** मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कटिहार के प्रशासनिक भवन, कर्मशाला एवं छात्रावास के जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल राशि **रू0** 1,64,10,000/– **(एक करोड़ चौंसठ लाख दस हजार)** मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–694 (भ0), दिनांक– 23/01/2017 द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में राज्य योजनान्तर्गत प्रदान की जाती है, जिसका विवरणी निम्नवत् हैः–

क0 सं0	कार्य का नाम	राशि
1	Administration Building	73,31,376.00
2	Workshop	28,16,266.00
3	Hostel	42,86,528.00
4	Septic Tank & Soak Pit	3,44,000.00
5	Electrification (L.S)	15,00,000.00
	Total-	**1,62,78,170.00**
	Contigency up to 1 Crore@1%	**1,00,000.00**
	Above 1 Crore@0.5%	**31,390.00**
	Total-	**1,64,09,560.00**
	OR Say Rs.-	**1,64,10,000.00**

2– इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 60–अन्य भवन, लघु शीर्ष 051–निर्माण, माँग संख्या–3, उप शीर्ष–0112 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन, विपत्र कोड–**P4059600510112**, राज्य योजना स्कीम कोड **BUI-5579** के विषय शीर्ष–5301 मुख्य निर्माण कार्य से वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु प्रावधानित राशि रू0 5700.00 लाख से की जायेगी। इस राशि के व्यय में वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक– 17–04–1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3– इस राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव/सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4– इस राशि की निकासी जिला कोषागार, कटिहार से की जायेगी।

5– कार्य का भौतिक, वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से महालेखाकार एवं निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण को मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रूप में समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6– संचिका संख्या– टी–3/भवन–12/2008 के पृष्ठ–...39.../टि0 पर विभागीय प्रधान सचिव का प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव तथा पृष्ठ ...39.../टि0 पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

17/2/17

उप सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक– टी–3 / भवन–12 / 2008–.......494......... / प ट ना, दिनांक–...20.... / ...02... / 2017

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव / योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में) / वित्त विभाग (बजट शाखा) / विकास आयुक्त के सचिव / प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव, 17/2/17

श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक– टी–3 / भवन–12 / 2008–.......494......... / प ट ना, दिनांक–...20.... / ...02... / 2017

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ / जिला पदाधिकारी, कटिहार / जिला कोषागार पदाधिकारी, कटिहार / कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, कटिहार / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी / प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कटिहार / मासिक व्यय विवरणी शाखा / बजट शाखा / योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव, 17/2/17

श्रम संसाधन विभाग